E-OFFICE No.979332
DATE....5-11-15....

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग–7)

कमांक प.13(3)/ग्रावि/7/2015/ 3370-3403 जयपुर, दिनांक 4-11-15

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.)

समस्त राजस्थान ।..

विषयः–ग्राम पंचायतों में सामग्री कय की निविदा प्रकिया पूर्ण करने बाबत ।
प्रसंगः–विभागीय सम संख्यक पत्र दिनांक 27.08.2015, 09.09.2015, 01.10.2015, 09.10.2015 एंव 29.10.2015 के कम में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें, जिनके द्वारा समस्त जिलों को वर्ष 2015–16 के लिये आपके जिले की गाम पंचायतों में सामग्री कय हेतु निविदाएं आमंत्रित कर, उन्हें निर्णित करने की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये गये है । परन्तु अभी तक अधिकतमर जिलों में निविदाएं आमंत्रित कर उन्हें निर्णित करने की कार्यवाही पूर्ण नही की गई है।

उक्त संदर्भ में सभी जिलों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि वे वर्ष 2015–16 के लिये जिले की ग्राम पंचायतों में सामग्री कय हेतु निविदाएं आमंत्रित कर, उन्हें तुरन्त निर्णित करने की कार्यवाही पूर्ण करना सुनिश्चित करें ।

साथ ही आगामी वर्ष 2016–17 के लिए अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जारी परिपत्र कमांक एफ 27( )ग्रावि/ग्रुप–5/जीकेएन/2015–16 दिनांक 09.10.2015 (प्रति संलग्न) द्वारा प्रेषित समय सारणी के अनुसार निविदा कार्यवाही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे आगामी वर्ष के दौरान कार्यो में किसी प्रकार का अनावश्यक विलम्ब या कठिनाई उत्पन्न न हो ।

इसे प्राथमिकता प्रदान करें ।

संलग्न–उपरोक्तानुसार ।

(राजीव सिहं ठाकुर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि परियोजना निदेशक एंव उप सचिव (M&E) ग्रामीण विकास एंव पंचायतीराज विभाग, राज0 जयपुर को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

वित्तीय सलाहकार

Programmer for upload it
4/11/15

अति–आवश्यक

राजस्थान–सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

एफ–27( ) ग्रावि / ग्रुप–5 / जीकेएन / 2015–16 जयपुर दिनांक 09अक्टूबर, 2015

–: परिपत्र :–

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के क्रय नियम – 183 से 192 तक उल्लेखित सामग्री और सेवाओं का उपापन एवं निविदा सम्बन्धित प्रक्रिया का समयबद्ध क्रियान्वयन वर्ष 2016–17 हेतु ग्रामीण कार्य निर्देशिका– 2015(विभागीय परिपत्र संख्या– 17 / 2015) (बिन्दु संख्या 9.7) के अधीन सम्पादित होने वाले समस्त योजनाओं के निर्माण कार्यो हेतु (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना सहित) नवीन दर मूल अनुसूची, सामग्री दरों का निर्धारण एवं निविदा निर्धारण निम्न समय सारणी अनुसार किया जावेगा :–

(अ) पंचायत समिति स्तरीय दर मूल अनुसूची एवं सामग्री दरों का निर्धारण

क्र. सं.	गतिविधि	निर्धारिम समय सीमा	उत्तरदायित्व
1	पंचायत समिति स्तरीय दर मूल अनुसूची तैयार करना (निर्धारित प्रकिया का पालना अनिवार्य रूप से किया जावें)	15 दिसम्बर, 2015	अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव, पं.स. स्तरीय दर मूल निर्धारण समिति (क्रमशः [illegible] विकास अधिकारी व सहायक अभियंता कार्यालय, प.स.)
2.	पंचायत समिति स्तरीय दर मूल अनुसूची का अनुमोदन (निर्धारित प्रकिया का पालना अनिवार्य रूप से किया जावें)	31 दिसम्बर, 2015	अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव पं.स. स्तरीय दर मूल निर्धारण समिति (क्रमशः [illegible] विकास अधिकारी व सहायक अभियंता कार्यालय, प.स.)
3.	जिला दर निर्णायक समिति द्वारा दरों का अनुमोदन (निर्धारित प्रकिया का पालना अनिवार्य रूप से किया जावें)	15 जनवरी 2016	अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव, जिला स्तरीय दर मूल निर्णायक समिति (क्रमशः जिला कलेक्टर एवं कार्यपालक अभियंता (अभियांत्रिकी)
4.	वर्ष 2016–17 हेतु दर मूल अनुसूची लागू करना।	01 अप्रेल, 2016	जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं विकास अधिकारी।

(ब)ग्राम पंचायत स्तर पर निविदा निर्धारण

क्र. सं.	गतिविधि	निर्धारिम समय सीमा	उत्तरदायित्व
1	निविदा प्रकाशन	31 फरवरी, 2016	पंचायत समिति (विकास अधिकारी)
2	सामग्री का आकलन कर ग्राम पंचायतवार जी शिडयूल तैयार कराना	31 जनवरी 2016	पंचायत समिति के सहा. अभि / कनि अभि / कनि.तक.सहा
3.	निविदा खोले जाने की अन्तिम तिथि	15 मार्च, 2016	सरपंच एवं ग्राम सेवक
4	निविदा का अन्तिम रूप दिया जाना। ग्राम पंचायत स्तर से अनुमोदित नही होने वाली निविदा को पंचायत समिति को प्रेषण कर फाईनल कराने की अन्तिम तिथि	20 मार्च, 2016	सरपंच एवं ग्राम सेवक
5.	निविदा का अन्तिम रूप दिया जाना। पंचायत समिति स्तर से अनुमोदित नही होने वाली निविदा को जिला	25 मार्च, 2016	विकास अधिकारी, पंचायत समिति

	परिषद को प्रेषण कर फाईनल कराने की अन्तिम तिथि		
6	जिला दर निर्णायक समिति द्वारा निविदाओं को अन्तिम रूप देना	31 मार्च, 2016	जिला दर निर्णायक समिति
7	वर्ष 2016–17 हेतु निविदा दर को लागू करना	01 अप्रैल, 2016	सम्बन्धित विकास अधिकारी, पंचायत समिति

विशेष :– उक्तानुसार कार्य सम्पादन की अनिवार्यता है, अन्यथा स्थिति में सम्बंधित को उदासीनता हेतु उत्तरदायी माना जावेगा, क्योंकि गत वर्षो में समयबद्ध दरो के निर्धारण एवं अनुमोदन के अभाव में राज्य की समग्र प्रगति पर विपरीत प्रभाव रहा है।

8/10/15

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव,ग्रामीण विकास

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ सहायक माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव ग्रावि एवं परावि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव पंचायती राज विभाग।
5. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा, ग्रामीण विकास विभाग।
6. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
7. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, जयपुर।
8. मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
9. निदेशक, जल ग्रहण विकास एवं भू– सरक्षण विभाग राजस्थान जयपुर।
10. जिला कलेक्ट्रर एवं अध्यक्ष, जिला दर निर्णायक समिति, जिला परिषद समस्ता राजस्थान।
11. समस्त परियोजना निदेशक एवं शासन उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान जयपुर।
12. परियोजना निदेशक एवं शासन उप सचिव (एन&ई), ग्रामीण विकास के विभागीय वेब साईट पर अपलोड कराने हेतु।
13. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान को भेजकर लेख है कि प्रपत्र की प्रतिया अपने स्तर भी समस्त सम्बंधितो का प्रेषित कराने का श्रम करावे।
14. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
15. परियोजना प्रबंधक (भू सरक्षण) समस्त जिला राजस्थान।
16. अधिशाषी अभियंता (अभि.) एवं सदस्य सचिव जिला दर निर्णायक समिति, जिला परिषद समस्ता राजस्थान।
17. अधिशाषी अभियंता (नरेगा) जिला परिषद समस्ता राजस्थान।
18. परियोजना अधिकारी (लेखा) / लेखाधिकारी / सहायक लेखाधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
19. विकास अधिकारी, पचायत समिति, समस्त राजस्थान।
20. सरपंच / सचिव, ग्राम पंचायत समस्त राजस्थान।
21. रक्षित पत्रावली।

अधीक्षण अभियंता (ग्रा.वि.)